भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 93

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व</u>

***93. डॉ. मनोज राजोरिया :**

श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने वाली सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सभी सरकारी और निजी कंपनियों के लिए इनके औसत शुद्ध लाभ के कम-से-कम दो प्रतिशत भाग को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत गतिविधियों हेतु खर्च करना अनिवार्य बनया गया है, यदि हां, तो इस योजना के आरंभ से तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु नए मानदंड जारी करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत गतिविधियों तथा कंपनियों द्वारा निधियों के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कॉरपोट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कंपनियों द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए/प्रस्तावित विकासकारी कार्यों सहित कार्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने व्यापक विकास हेतु कॉरपोरेट घरानों को कम से कम पांच गांव सौंपे जाने के लिए कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित दिनांक 04 दिसंबर, 2015 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के उपबंध 01.04.2014 से लागू हुए हैं। वर्ष 2014-15 विधान के अधीन कंपनियों द्वारा सीएसआर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था। इस अधिनियम के सीएसआर उपबंधों के अनुपालन के लिए पात्र कंपनी के बोर्ड के लिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर संबंधी सार्वजनिक करना अनिवार्य है। कंपनियां अभी मंत्रालय में अपनी वार्षिक रिपोर्ट दाखिल (फाइल) करने की प्रक्रिया में हैं। अपने सीएसआर देयताओं को पूरा करने वाली सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की संख्या के ब्यौरे कंपनियों द्वारा अपेक्षित वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही उपलब्ध होने की संभावना है।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार (टर्नओवर) वाली; या 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवल मूल्य वाली; या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी के लिए पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान प्राप्त उनके औसत निवल लाभ का न्यूनतम दो प्रतिशत सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करने का अधिदेश देता है।

(ग): मंत्रालय में अभी सीएसआर के लिए नए मानक जारी करने का प्रस्ताव नहीं है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यकलापों की निगरानी और सीएसआर कोष के उपयोग की जिम्मेदारी अधिनियम के अधीन कंपनी के बोर्ड की है। इस संबंध में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(घ): सीएसआर के अधीन कंपनियों द्वारा चलाए गए कार्यकलापों का विवरण कंपनियों द्वारा अपेक्षित वार्षिक जानकारी प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध होने की उम्मीद है।

(ड.): इस अधिनियम के अधीन कंपनियों के सीएसआर स्कीम/परियोजना/कार्यक्रम तैयार करने के लिए सरकार की किसी प्रकार की भूमिका का प्रावधान नहीं है।

*****